न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **03/2020** आवंटन निरस्ती

श्री उदा पिता डेला मीणा, निवासी सूरखण्ड, देवली, कानोड तहसील कानोड, जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

श्री खेमा पिता पेमा रावत निवासी सूरखण्ड, कानोड तहसील कानोड, जिला उदयपुर (राज.)

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः 1. श्री रामलाल मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ललित जैन अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांकः–.....

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा गांव सूरखण्ड पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 439/7 रकबा 8 बीघा पर प्रार्थी के पिता डेला जी मीणा पिता हामाजी से कब्जे काश्त हो उक्त कृषि भूमि पर पिछले 50 वर्षो से कृषि कार्य किया जाकर उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि पर 30 वर्ष पूर्व पत्थर की कोट कराई गई व खेती बाडी का कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर सिंचाई हेतु नलकूल भी खुदवा रखा है एवं बिजली कनेक्शन ले रखा है। उक्त भूमि पर 3 कमरे मय चौक मकान बना रखा है एवं पालतू मवेशियों को बांधा जाना है। उक्त भूमि बिलानाम थी जो बाद में गांव

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

सूरखण्ड वालो की सहमति से प्रार्थी के दादा व पिताजी को सुपुर्द की गई। वर्षो पूर्व पंचायत में भी गांव के सभी लोगो ने उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में पूरा अधिकार दिया गया तब से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त हो उक्त कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कथित आंवटन नियमों के विपरित किया गया है। मूल रूप से कोई पत्रावली नही बनी है। केवल मात्र भूमि आवेदन पत्र जिस पर भी भजा रावत के हस्ताक्षर है एवं खसरा नम्बर 13 के रकबा 5 बीघा के लिये आवेदन भरा गया जिसकी कलम संख्या 1 में खसरा नम्बर 13 रकबा 6 बीघा अभी भी दर्शित हो रही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में खसरा नम्बर 13 को पेन से काटकर 9 अंकित किया गया है एवं रकबा भी 5 बीघा बारानी तृतीय अंकित किया गया है तथा भूमिहीन काश्तकार के लिए जमीन आंवटन के लिए आवेदन है जबकि विपक्षी पहले से ही जागीरदार व्यक्ति होकर 25–30 बीघा कृषि भूमि का खातेदार है लेकिन राजनैतिक पहुंच होने से व वार्डपंच होने से दुर्भावनापूर्वक उक्त कृषि भूमि को राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से आंवटन करा ली। उक्त भूमि का कब्जा कभी भी विपक्षी खेमा पिता पेमा रावत को नही दिया गया और वह स्वयं भी काश्त नही करता था और अभी भी चुनाई का कार्य करता है। विपक्षी का मौके पर कब्जा नही है, कथित आंवटन के पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र भी जारी नही किया गया, कथित आंवटन के समय आंवटन कमेटी का कोरम पूरा नही था, आंवटन के बाद शर्तो की पालना नही की गई ऐसी स्थिति में आंवटन काबिल निरस्त है। विपक्षी जानबूझकर जलील व परेशान करने की नियत से मौके पर भूमि व्यवसाय करने वाले लोगो को लेकर आता है। प्रार्थी की कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में ली जा रही कृषि भूमि को अपनी बताकर विक्रय करना चाहता है। कथित जमीन प्रार्थी के नाम नियमन योग्य होते हुए भी इसके सम्बन्ध में धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत व नियम 20 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत कोई कार्यवाही नही कर सीधे ही विपक्षी खेमा पिता पेमा रावत के नाम आंवटन आदेश जारी कर दिया गया जो काबिल निरस्त है। न ही कोरम हुआ, न ही आंवटन कमेटी की राय ली गई जो नियम 13(ए) के विपरित होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त है। कथित आंवटन खेमा पिता पेमा रावत भूमिहीन काश्तकार नही होते हुए भी अपने हक में धोखे से मि. रिप्रजेन्टेशन से करा लिया जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

एबएब्युनेश्युवोईड होकर बिना अधिकार के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेमा पिता पेमा रावत के हक में किया गया आंवटन दिनांक 11.03. 1985 कृषि भूमि मौजा ग्राम सूरखण्ड खसरा नम्बर 7, रकबा 8 बीघा को निरस्त फरमाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गांव सूरखण्ड पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 439/7 रकबा 8 बीघा पर प्रार्थी के पिता डेला जी मीणा पिता हामाजी से कब्जे काश्त हो उक्त कृषि भूमि पर पिछले 50 वर्षो से कृषि कार्य किया जाकर उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पत्थर की कोट व नलकूल भी खुदवाया है, बिजली कनेक्शन ले रखा है, 3 कमरे मय चौक बना मकान बना रखा है एवं पालतू मवेशियों को बांधने के काम मे लिया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कथित आंवटन नियमों के विपरित किया गया है मूल रूप से कोई पत्रावली नही बनी है। केवल मात्र भूमि आवेदन पत्र जिस पर भी भजा रावत के हस्ताक्षर है एवं खसरा नम्बर 13 के रकबा 5 बीघा के लिये आवेदन भरा गया जिसकी कलम संख्या 1 में खसरा नम्बर 13 रकबा 6 बीघा अभी भी दर्शित हो रही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में खसरा नम्बर 13 को पेन से काटकर 9 अंकित किया गया है एवं रकबा भी 5 बीघा बारानी तृतीय अंकित किया गया है। विपक्षी पहले से ही जागीरदार व्यक्ति होकर 25–30 बीघा कृषि भूमि का खातेदार है। विपक्षी का मौके पर कब्जा नही है, कथित आंवटन के पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र भी जारी नही किया गया। आंवटन के बाद शर्तो की पालना नही की गई ऐसी स्थिति में आंवटन काबिल निरस्त है। प्रार्थी की कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में ली जा रही कृषि भूमि को अपनी बताकर विक्रय करना चाहता है। कथित जमीन प्रार्थी के नाम नियमन योग्य होते हुए भी इसके सम्बन्ध में धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत व नियम 20 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत कोई कार्यवाही नही कर सीधे ही विपक्षी खेमा पिता पेमा रावत के नाम आंवटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश जारी कर दिया गया जो काबिल निरस्त है। न ही कोरम हुआ, न ही आंवटन कमेटी की राय ली गई जो नियम 13(ए) के विपरित होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त है। कथित आंवटन खेमा पिता पेमा रावत भूमिहीन काश्तकार नही होते हुए भी अपने हक में धोखे व मिसरिप्रजेन्टेशन से करा लिया जो एबइनीस्यिोबोईड होकर बिना अधिकार के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेमा पिता पेमा रावत के हक में किया गया आंवटन दिनांक 11.03.1985 कृषि भूमि मौजा ग्राम सूरखण्ड खसरा नम्बर 7 रकबा 8 बीघा को निरस्त फरमाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए विपक्षी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा विधिवत भूमि आंवटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपजिलाधीश वल्लभनगर द्वारा खेमा पिता पेमा के नाम मौजा सुरखण्ड तहसील वल्लभनगर की खसरा नम्बर 7 रकबा 8 बीघा भूमि दिनांक 11.03.85 को आंवटित की गई। पत्रावली संख्या 857/84 संधारित की गई है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी भूमिहीन कृषक की श्रेणी मे आने से ही भूमि का आंवटन किया गया है। विपक्षी लगभग 6 बीघा कृषि भूमि का ही खातेदार था इसी कारण भूमिहीन श्रेणी का होने से भूमि का आंवटन किया गया है। आंवटन विधिवत किया गया है एवं किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाकर आंवटन नही कराया गया है। भूमिहीन काश्तकार को भूमि आंवटन के सम्बन्ध में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दृष्टान्त आर.आर.डी 1990 पेज नम्बर 642–645 प्रस्तुत किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी का वर्षो से उक्त आराजी पर कब्जा है परन्तु पत्रावली पर फोटोग्राफस् के अतिरिक्त कब्जे सम्बन्धी कोई तथ्य/प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस यह तथ्य प्रस्तुत किया कि विपक्षी भूमिहीन काश्तकार नही था 25–30 बीघा की जागीरदार था किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2037–40 खेमा पिता पेमा रावत का हिस्सा लगभग 6 बीघा 5 बिस्वा बनता है। प्रार्थी का कथन है कि कोई पत्रावली संधारित नही है जबकि अधीनस्थ न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested

तलब पत्रावली अनुसार पत्रावली संख्या 857/84 से संधारित होकर पत्रावली में आवेदन पत्र, दखलनामा, ट्रेस उपलबध है। साथ ही आंवटन कमेटी के सदस्यो की अनुशंषा दिनांक 06.06.1984 पश्चात ही दिनांक 11.03.1985 को उपजिलाधीश वल्लभनगर द्वारा ग्राम सूरखण्ड तहसील वल्लभनगर के खसरा नम्बर 7 रकबा 8 बीघा भूमि का आंवटन आदेश जारी किया गया है जो नियमानुसार है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार ग्राम सुरखण्ड की खसरा संख्या 35 रकबा 1.7300 हे. भूमि वर्तमान में खेमा पिता पेमा के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है जो नामान्तरण संख्या 127 से खातेदारी दर्ज हुई है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/प्रमाण उपलब्ध नही है जो यह प्रमाणित करते हो कि प्रार्थी द्वारा कभी भी नियमन/ आंवटन हेतु कोई चाराजोही की गई हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति मय आवंटन पत्रावली 857/84 उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:29 IST
Reason: SelfAttested